


मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 85/2024

1. गोमा सिंह पुत्र श्री दत्तार सिंह रायसिख आयु- 56 वर्ष निवासी चक 13 एन.जी.सी.
चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़, आधार संख्या- 336290711336
2. दोना सिंह पुत्र श्री दत्तार सिंह रायसिख आयु- 49 वर्ष निवासी चक 13 एन.जी.सी.
चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़, आधार संख्या-737659905154
3. सुनीता बाई पत्नी स्व० छिन्द्र सिंह रायसिख आयु- 45 वर्ष निवासी चक 13 एन.जी.
सी. चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़, आधार संख्या- 373166155978

---वादीगण

बनाम



1. दत्तार सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह रायसिख आयु- 79 वर्ष निवासी चक 13 एन.जी.सी.
चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. सोमवती पत्नी श्री बलवन्त सिंह पुत्री दत्तार सिंह आयु- 54 वर्ष निवासी चक मेघाविरान
तहसील जलालाबाद जिला फाजिल्का
3. बलवीर कौर पत्नी गुरदयाल सिंह पुत्री दत्तार सिंह आयु- 42 वर्ष निवासी चक मेघाविरान
तहसील जलालाबाद जिला फाजिल्का
4. जसवीर सिंह पुत्र स्व० छिन्द्र सिंह रायसिख आयु- 23 वर्ष निवासी चक 13 एन.जी.
सी. चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
5. वीना पुत्री स्व० छिन्द्र सिंह रायसिख आयु- 21 वर्ष निवासी चक 13 एन.जी.सी.
चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
6. जसकरण सिंह पुत्र श्री छिन्द्र सिंह रायसिख आयु- 18 वर्ष निवासी चक 13 एन.जी.
सी. चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
7. श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

---वादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :-88 आर.टी.ए.घोषणा व 53

अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

डिक्री

दिनांक :- 17.10.2024

वादीगण की ओर से श्री अंकित सिडाना अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से श्री छगनलाल अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.11.2024 को सत्यनारायण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर गनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णितानुसार वादी संख्या-1 गोमा सिंह - चक नम्बर 13 एन.जी.सी. प0न0 202/267 (10) कि0न0 23/0.0843 है0, (पूर्व दिशा में) 24/.0423 है0 (पूर्व दिशा में), कि0न0 25/1/.228 है0, 25/2/.025 है0, प0न0 202/268 (11) कि0न0 14/.253 है0, कुल 0.6326 है0 एवं वादी संख्या-2 दोना सिंह - चक नम्बर 13 एन.जी.सी. प0न0 202/267 (10) कि0न0 15/1/.228 है0, 15/2/.025 है0, कि0न0 23/1/0.0843 है0 (पश्चिम दिशा में) कि0न0 24/.0423 है0 (पश्चिम दिशा में), प0न0 202/268 (11) कि0न0 13/.253 है0, कुल तादादी - 0.6326 है0 एवं वादीया संख्या-3 सुनिता बाई - चक नम्बर 13 एन.जी.सी. प0न0 202/267 (10) कि0न0 16/1/.228 है0, 16/2/.025 है0, कि0न0 23/0.0843 है0, (मध्य में) कि0न0 24/0.0423 है0 (मध्य में) प0न0 202/268 (11) कि0न0 3/5/.114 है0, 3/6/.0125 है0, कि0न0 8/0.1265 है0, कुल तादादी - 0.6326 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करेंगे।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 17/11/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---